राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या — 2135/2014/जोधपुर अपील संख्या — 2138/2014/जोधपुर

मैसर्स भगवती लाइम प्रोडक्ट, तीन मुँह दुकान, बोरून्दा, पीपाङ्सिटी, जोधपुर

....अपीलार्थी

अपील संख्या - 2136/2014/जोधपुर

मैसर्स माँ भगवती ट्रेडर्स, प्रेमजी बेनीवाल के पास, बोरुन्दा, जोधपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स)—II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर

2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-III, वृत-बी पीपाड़िसटी, जोधपुर

....प्रत्यर्थीगण

<u>एकलपीठ</u> श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,

अधिवक्ता

......अपीलार्थी की और से

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 37/आरवेट/जेयूबी/14—15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—III, वृत—बी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 22 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	क.नि.वर्ष	विलम्ब शुल्क	ब्याज
2135/14	36 / सीएसटी / जेयूबी / 14-15	11-12	5,000	
2136/14	37 / आरवेट / जेयूबी / 14-15	11-12	1,01,000	9,583
2138/14	35 / आरवेट / जेयूबी / 14-15	11-12	17000	

y

लगातार.....2

- तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-12 की अवधि में तिमाही विवरण पत्र वैट 10ए एवं वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने का दायित्व है जो प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.02.2014 को वार्षिक विवरण पत्र वैट प्रस्तुत किया गया। विवरण पत्रों की देरी के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा विलम्बशुल्क का अभिनिर्धारण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तृत की गई है।
- उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन के विधिक प्रावधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क / शास्ति निर्धारण योग्य है इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-
- (i) Sibia Healthcare Pvt. Ltd. Vs DCIT (2015) 171 TTJ 145 (Amritsar)
- (ii) Smt. G. Indhirani Vs DCIT-TDS (2015) 7 SET 137 (Chennai)
- (iii) कमीशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम, मेरठ बनाम दीवान रबर इण्डस्ट्रीज (2015) टैक्समेन डॉट कॉम 338 (एससी)
- (iv) CST Vs Sadanand Arya (1979) 43 STC 396
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय में यह मत अभिनिर्धारित किया कि अपराध किये जाने वाले समय के प्रावधान शुल्क / शास्ति आरोपण हेत् प्रभावी होंगे।
- उन्होंने तर्क दिया कि विधिक प्रावधान विलम्ब शुल्क आरोपित कर के भी बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये गये विवरण पत्रों को नियमित करने की अधिकारिता सशक्त अधिकारी को प्रदान नहीं करता है। जिस दिन / समय अपराध कारित किया गया उस दिन के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार शास्ति / विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण होना उल्लेखित कर निम्नांकित निर्णय उद्धरित किये :-

(1992) 61 ELT 337 (SC) PV Mohammed Barmya Vs Directorate of Enforcement

(1979) 120 ITR-1 (SC) Brij Mohan Vs C.I.T

101 ELT 675 102 ELT 705] 106 ELT 529 107 ELT 121120 ELT 736

121 ELT 511, 127 ELT 448] 25 RLT 246, & 35 RLT 919

राज्य सरकार द्वारा शुल्क वसूली किये जाने के संबंध में निम्न न्यायिक निर्णयों को उद्धरित करके शुल्क को विकल्प / सुविधा के लिए प्रदान की गयी व्यवस्था बताया :

77 STC 395 (SC) Sri Krishna Das Vs Town Area Committee Chirgaon 145 STC-544(LB(5JJ) SC) Ms Jindal Stainless Ltd. and others Vs State of Hariyana

31 VST 458 (LB) (WBTST) :: Howrah Tax Payers'

Association Vs Government of West Bengal & Anr.

लगातार.....3

प्रस्तुत विवरण पत्रों में पायी गयी किमयों यथा विलम्ब शुल्क, ब्याज जमा चालान बाबत सशक्त अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधान धारा 24(2) के अनुसरण में जारी नहीं किया एवं यदि जारी भी किया तो उसकी समुचित तामिली नहीं करवायी गयी।

- 7. विलम्ब शुल्क आरोपण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये:-
- (i) State of Kerala Vs K.T. Shaduli Yusuf, reported at AIR 1977 SC 1627
- (ii) Amrit Food Vs Commissioner of Central Excise, reported at (2005) 190 ELT 433 (SC)
- (iii) Mahaveer Conductors Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, reported at (1997) 104 STC 65, 70
- (iv) Assistant Commissioner Work contract and leasing tax Kota Vs M/s Tubes mills and metal industries Ltd. Kota (16.04.2012)
- 8. विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण के कारणों की पूर्ण विवेचना किये बिना अस्पष्ट आदेश पारित किया जबकि आदेश speaking अपेक्षित है। इसके लिये निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये :--
- (i) 84 STC 357 CTO Vs VCM society (Raj H.C.)
- (ii) The Hon'ble Supreme Court has, in the case of Vasant D. Bhavsar Vs Bar Council of India reporteat (1999)1 SCC 45
- (iii) The Hon'ble Supreme Court has, in the case of Steel Authority if India Ltd. Vs STO Rourkela, reported at (2008) 22 Tax update.
- 10. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी आपित्तयों का निस्तारण अपेक्षित है। आपित्तयों पर विचार एवं निस्तारण किया जाना बाध्यकारी है, बिना आपित्तयों का निस्तारण किये पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने का कथन किया एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये गये :--
- (i) Dattani & Co. Vs I.T.O
- (ii) 214 VSTIB 239 Shri Dayanand Extraction Industries Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Commercial Taxes
- (iii) 214 VSTIB 100 Goyal Auto Zones Patiala Vs State of Punjab.
- 9. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
- 10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में विधिक स्थिति धारा 21, नियम 19 एवं 19ए में निम्न प्रकार है:-
 - Sec. 21. FILING OF RETURN (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

- (2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such from and manner and within such time as may be specified.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.
- 11. राज्य सरकार ने नियम-2005 के नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान
 - "19(1) Returns (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be.
 - (2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official website of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)."
 - (3) Where the amount of tax, interest or late fee, if not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of challan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, within fifteen days of the last date for filing or such returns (s),
 - (4)Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers:
 - (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3:or
 - (b) who exclusively deals in goods;
 - (i) which are exempted under the Act; or
 - (ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5, or
 - (iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said first poin; or
 - (iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered lax at maximum retail price under the said sub-section; or
 - (v) which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or
 - (vi) as may be notified by the Commissioner.
 - (5) Return in Form VAT- 10 shall be submitted by all dealers other than those enumerated in sub-rule (4) above, along with statement of purchase if Form VAT-07A and statement of sales in Form VAT-08A,

लगातार.....5

- (a) within sixty days of the end of the quarter by the dealers who have depsited less than Rs. 50,000/- as tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 including the Central Sales Tax Act, 1956, during the previous year.
- (b) within forty five days of the end of the quarter by the dealers other than enumerated in clause (a) above.

Explanation: Quarter menas the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March and month shall mean calendar month.

- (6) Annual Return in Form VAT-10A shall be submitted by all dealers covered under subrule(5) within [ten month] from the end of the relevant year.
- (7) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business.
- (8) Where a dealer discovers any omission orerror in [Form VAT 10 or Form VAT 10A or Form VAT-11] furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing annual return or audit report or on receipt of the notice under subsection (1) of section 24, whichever is earlier.
- (9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period [(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shal be submitted along with proof of deposit of dut tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.]
- विवरणियों के प्रस्तुती के सम्बन्ध में उपबंधित उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को विहित तरीके से विहित समय में विवरणियों प्रस्तुत करनी होती हैं। आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 में अपीलार्थी व्यवहारी के अपेक्षित विवरिणयां प्रथम त्रैमास से चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित वैट 10 प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.11.2013, 13.02.2014 के सम्मन दिये गये जो कि प्रस्तुत की जानी थी, परन्तु उसने वैट 10 व वैट 10ए की विवरणियां प्रस्तुत ही नहीं की है। अतः विवरणियों हेतु नियम 19ए(iii) के तहत क्रमशः 17,000 रूपये एवं 5,000/- रूपये का विलम्ब शुल्क कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया है, जो विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत होने पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क आरोपण किया वह विधिनुकूल है। अतः आरोपित विलम्ब शुल्क हेत् अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि एतदद्वारा की जाती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उपरोक्त विधि के स्पष्ट पठन के आलोक में लागू नहीं होते है। चूंकि विलम्ब शुल्क शास्ति नहीं है बल्कि विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शुल्क का निर्धारण है जिसके लिये नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं है बल्कि विलम्ब होने पर अपीलार्थी को स्वयं ही विवरणियों के साथ जमा करवाना पडता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.08.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय) सदस्य